गांवों में हैं, जब कि हम सभी कहते हैं कि भारत की 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गत 12 वर्षों में 200 फीसदी डॉक्टर्स की कमी आयी है। महोदय, मातृ मृत्यु दर, प्रति लाख जननी, वर्ष 2012 तक 254 से घटकर 100 होनी चाहिए थी, वह सिर्फ 212 तक पहुंची है। इसी प्रकार नवजात मृत्यु दर प्रति हजार 57 से घटकर 28 होनी थी, लेकिन इसमें भी प्रदर्शन खराब रहा है और यह दर घटकर मात्र 44 तक पहुंची है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की संख्या इतनी दयनीय है कि 1000 पर 0.6 डॉक्टर्स की उपलब्धता है यानी वहां पर डॉक्टर भी नहीं है। महोदय, यह एक-दो साल की बात नहीं, गत 15 सालों में हर सरकार के समय में इस तरह की दिक्कतें रही हैं। भारत में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 50 फीसदी कमी है और आज भी यह कमी मौजूद है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 82 फीसदी कमी हो गयी है। जहाँ सौ ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए, वहाँ अठारह डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। आज भी गाँवों में 82 फीसदी डॉक्टर्स की कमी है।

आज देश में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के मामले में जो कुल जरूरत है, वह 23.4 फीसदी की है। वैसे यह संख्या हंड्रेड फीसदी होनी चाहिए, लेकिन अभी केवल 23.4 फीसदी ही स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के आंकड़े, जहाँ 5,850 थे, वहीं 2014 में ये आंकड़े गिरकर 4,097 हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये लोग आए दिन गाँव से मरीज को लेकर चलते हैं कि शहर में ले जाएं, लेकिन शहर आते-जाते उन लोगों की मौत हो जाती है।

महोदय, यह दर्दनाक कहानी खत्म होनी चाहिए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन हज़ारों लोग इलाज के लिए शहर की ओर आते हैं। शहर में भी डॉक्टर्स की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। यहाँ तक कि अगर ये लोग गाँव में अपना इलाज कराते हैं, तो इन पर दोहरी मार पड़ती है। इलाज के नाम पर प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा इनसे मोटी रकम ली जाती है और शहर में जाते-जाते इनकी मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में निमोनिया और दस्त के 90 फीसदी गलत उपचार हो रहे हैं। यह उपचार गलत पाए गए, जबकि निमोनिया ...(**व्यवधान**)... *

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

†چودھری منورسلیم (اترپردیش): اُپ سبھاپتی جی، میں خود کو اس موضوع سے سمبدھ کرتا ہوں۔

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (झारखंड): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

Alleged infringement of the rights of Panchayati Raj Institutions in Chhattisgarh

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): उपसभापति जी, मैं इस सदन में नई मेम्बर हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं पिछले एक सप्ताह से शून्य काल में अपना आवेदन लगा रही थी, लेकिन आज आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं इस उच्च सदन में आप सभी मूर्धन्य लोगों के बीच पहली बार कुछ बोलने का साहस कर रही हूं। माननीय महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के बड़े और पहले त्योहार, हरीली त्योहार के लिए पूरे सदन को गाढ़ी-गाढ़ी बधाई देते हुए अपनी बात कहने का साहस कर रही हूं।

†Transliteration in Urdu script.

*Not recroded.

महोदय, संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। जहाँ, 50 से 70 हजार मतदाताओं के बीच से ज़िला पंचायत सदस्य चुनकर आते हैं, 40 से 50 हजार लोगों के बीच से एक जनपद सदस्य चुनकर आता है, वहाँ उन्हें कुछ भी अधिकार नहीं है, उनको अपने क्षेत्र में विकास के लिए एक भी फंड नहीं मिलता है। माननीय महोदय, हालत यहाँ तक है कि जिस ग्राम पंचायत से खनिज रॉयल्टी आती है, उस ग्राम पंचायत फंड को भी अधिकारी के द्वारा दूसरी, दूसरी ग्राम पंचायत में, दूसरे क्षेत्र में, विकास के लिए दे दिया जाता है। माननीय महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर एक महिला सरपंच है, जहाँ पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत एक महिला सरपंच है, वहाँ उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा तक फहराने नहीं दिया जाता है। वहाँ पर शासन द्वारा शाला विकास समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा झंडा फहराया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की इससे ज्यादा दुर्गति और नहीं हो सकती है।

माननीय महोदय, जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्य मंत्री थे, तो मैं स्वयं ज़िला पंचायत की अध्यक्ष थी। उस समय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की पद स्थापना, स्थानांतरण और प्रमोशन का अधिकार ज़िला पंचायत को था, लेकिन अभी कुछ नहीं है, वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज के पदाधिकारीगण केवल नाम मात्र के हो गए हैं।

महोदय, उस दिन जयराम रमेश जी कोयला खदान की बात कर रहे थे, वे वन अधिकार की बात कर रहे थे, अगर सरपंचों को अधिकार होता, तो वह 300 एकड़ जमीन, "मन की बात" कहने वाले नेता के माध्यम से, अडानी जी को उस कोयला खदान के लिए नहीं जाती। अगर सरपंचों को अधिकार होता तो? लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज की सत्ता का केंद्रीयकरण किया जा रहा है।

माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंचायती राज प्रजातंत्र की जड़ है। अगर उनके अधिकार का हनन किया जाएगा, तो प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा और पूरे भारत में टिमटिमाते हुए पंचायती राज के जो पदाधिकारी हैं, वे पूरी तरह से बुझ जाएंगे। आज उन्हें अधिकार देने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

सुश्री दोला सेन (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूं।

श्री ए.वी. स्वामी (ओडिशा): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

कुछ माननीय सदस्यः उपसभापति जी, हम भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

Concern over the increasing cases of rape in the country

SHRI SAMBHAJI SHAHU CHHATRAPATI (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak in the Zero Hour. It has taken almost five days for me to get a chance to rise on my seat and give my Zero Hour speech. It is a matter of utmost importance which relates to rape followed by murder. There were a lot of rapes which took place in the Capital, in the Delhi Region. A four year old was raped. There were constant rapes in Uttar Pradesh, in Maharashtra and the rest of the country. I will not get into the details, but it is a matter of great importance for all of us to decide what we should be doing in future. Last Sunday, in Maharashtra, two rapes had taken place. I would like to mention an incident of a village called Kopardi where a teenager was gang raped by a group, brutally beaten and then strangled to death. I would like to tell the House that we should all take very stern action regarding this. I should not be boasting, but I also come from the family of Chhatrapati Shivaji and Shahu Maharaj. Shahu Maharaj was the first person to bring in reservations in the year 1902 and when Shahu Maharaj brought in this reservation, he also brought social equality, but till date Kolhapur has never faced or seen such a thing called rape or murder. That is how we should imbibe from the two great kings. I aiso believe that to curb the rising number of rapes we must take stern action against the culprits so that a strong message is sent across the society. As a representative of this House it is our duty to give a voice to the many daughters who are unheard. Let us act swiftly to protect every woman of this country irrespective of what religion, caste or belief she belongs to. I would also like to bring in, through you, Sir, that after the Nirbhaya case, laws were amended and a fund was established, but it seems that effective implementation of the law and the efficient utilisation of the fund has not been achieved yet. I also wish to request that those accused of rape cases should not be able to obtain bail easily or let out with a petty punishment. If we have a provision for capital punishment for murder or treason, then, let's have amendments that provide death punishment for violent rapes so that there are no repeat offenders. The question before the concerned Minister and before all of us today is, can we not, across party and ideologies, come to a common consensus and just pass one simple resolution where the rape accused is tried in a timely manner? On proven guilty, he should be punished in such a way that it would make any person who is thinking about dishonouring a woman shiver with fear.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.